different. In urban areas, we do have it, but by and large, geriatrics comes under physicians. In a Government hospital, it is not possible to separate. So, I request that we should design a separate department for that at district level so that the rural area people can come to the district area and take advantage of that. When you grow old, you always come with someone to the hospital. So, you require additional space there. So, when you design an OPD, you require 1:2 space. That means, if a normal OPD is meant for 40 people for the adults, you require probably the same space for 20 people in case of old people. They will come with someone. Same way, their waiting period should be reduced. So, you should take care of the sitting arrangement also. When they are admitted, again, the hospital beds should be in such a way that there is more space for attenders, as they need attenders. And when you would like to have such arrangement, then, Government has to train doctors, geriatric specialists, special nurses, helpers and other staff. It may be a little expensive, but India has growth of old age people. The Government should consider this as a suggestion to improve the position of the old people, particularly, in the medical field so that old age would be easy and comfortable. Thank you very much for giving me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sudha Murty.

Concern over lack of E-filing Centres in the State of Uttar Pradesh

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को उठाना चाहता हूं। भारत सरकार ने निर्णय किया था कि देश में 4400 ई-फाइलिंग सेंटर्स शुरू किए जाएंगे और 7,100 करोड़ रुपये की बजट में घोषणा की थी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भीतर भी खुलने थे। मेरठ में एक केन्द्र खुला भी था। वैसे तो हमारी हाई कोर्ट बैंच की मांग है और वह अब भी रहेगी, लेकिन एक ई-फाइलिंग सेंटर खुला था, जहां वादकारी अपने विषय को रख सकता था। वादकारी का हित सर्वोच्च, सस्ता और सुलभ न्याय, यह हमारा सैद्धांतिक पक्ष है। इसके बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्णय किए। निर्णय में भी ये शब्द कहे कि आज के 15 दिन के बाद कोई हाईब्रिड सिस्टम से सुनवाई के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक एक बार सुनवाई का आदेश जारी किया और आठ दिन बाद उस आदेश को abeyance में रख दिया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से abeyance में रखने का काम इलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ई-फाइलिंग सेंटर के माध्यम से जिले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में

वाद दायर करने, जमानत प्राप्त करने और सुनवाई का अवसर मिलता है, फैसले का अवसर मिलता है, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। मेरठ में ई-फाइलिंग सेंटर स्थापित भी हो गया है, उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश abeyance रखा गया। मैं इस विषय पर अपनी बात रखते हुए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि kept in abeyance का आदेश स्थगित हो और ई-फाइलिंग सेंटर की व्यवस्था को चालू किया जाए, धन्यवाद।

Demand to Include Agricultural Sciences in the Syllabi of Navodaya and Kendriya Vidyalayas

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, नर्मदे हर! मैं आज सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं और उनका व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस देश के अंदर कृषि प्रधान देश होने के कारण महाविद्यालयों में और स्कूलों में कृषि विषयों को भी पढ़ाने का काम होना चाहिए।

महोदय, देश के अंदर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हजारों विद्यालय संचालित हैं और साथ ही राज्य सरकार के विद्यालय भी हजारों की संख्या में संचालित हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और शिक्षक रहा हूं। मुझे लंबे समय तक इस बात का एहसास हुआ है कि जिन कॉलेज और स्कूल्स में कृषि विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, वह अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मैं सीबीएसई में और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान विषय को शामिल करने के लिए मांग करता हूं, ताकि हमारे किसान के बेटा-बेटी कृषि विषय को पढ़ पाएं और जब वे घर की ओर लौटें, तो बहुत अच्छे तरीके से, उच्च तकनीकी तरीके से खेती-बाड़ी का काम कर सकें और गांव के भाइयों और बहनों को तकनीकी रूप से खेती करने के लिए मदद कर पाएं। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को और साथ ही हमारे कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब के नेतृत्व में देश का किसान निरंतर तरक्की कर रहा है और खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश के नवोदय विद्यालयों में और केन्द्रीय विद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कृषि विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की मांग करता हूं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं,नर्मदे हर!

Demand for adequate means of transport for the city of Jabalpur, Madhya Pradesh

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं जबलपुर, देश के केन्द्र में स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है, जहां से देश के विभिन्न भागों तथा आसानी से प्रभावी परिवहन संभव है।